

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275303
SG-DL-E-08082026-275303असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 152
No. 222]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948	[N. C. T. D. No. 152

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

[राजस्व विभाग (मुख्यालय)]

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

फा. सं. आरडी-के/6/2026-डीडीएमए-राजस्व विभाग/1269.- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 2 के खंड (s) के साथ पठित धारा 14 की उपधाराओं (1), (2) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3753 (अ) दिनांक 02.09.2024 के अनुसरण में, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.09.2022 और अधिसूचना दिनांक 21.11.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अब से दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नीरज सेमवाल, भा.प्र. मंडलीय आयुक्त(राजस्व)/ संयोजक

DELHI STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY**[Revenue Department (HQ)]****NOTIFICATION**

Delhi, the 5th August, 2026

F. No. RD-K/6/2026-DDMA-REVENUE DEPARTMENT/1269.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 14 read with clause (s) of section 2 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), and in pursuance of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, and Ministry of Home Affairs, Government of India, Notification No. S.O. 3753(E) dated 02.09.2024, and in partial modification of the Government of NCT of Delhi notification dated 15.09.2022 and the notification dated 21.11.2024, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby specifies that the “**Delhi Disaster Management Authority**” shall henceforth be known as the “**Delhi State Disaster Management Authority (DSDMA)**”.

This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the name of the Lieutenant Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

NEERAJ SEMWAL, IAS Divisional Commissioner(Revenue)/Convener